

AM/2024/1950

अदिति महाविद्यालय  
(दिल्ली विश्वविद्यालय)  
बवाना, दिल्ली-110039

दिनांक : 5-9-2024

### सूचना एवं योग्यता मापदण्ड

महाविद्यालय की समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव व महाविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 27 सितम्बर, 2024 को हो रहा है। इसके अन्तर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के लिये छात्राएँ प्रधान, उप-प्रधान, सचिव व सह-सचिव के चुनाव में भाग ले सकती हैं व चुनाव लड़ सकती हैं इसके नियमों की जानकारी के लिये छात्राएँ श्री आशुतोष अग्रवाल, अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) से सम्पर्क करें।

महाविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 2024-25 के लिये चुनाव उपरोक्त तिथि को प्रधान, उप-प्रधान, सचिव व सह-सचिव पद हेतु निम्नलिखित नियमानुसार कराया जायेगा। सभी नियम लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार ही मान्य होंगे।

#### प्रधान पद हेतु (एक पद)

- प्रधान पद के चुनाव के लिये इच्छुक छात्रा का तृतीय वर्ष की छात्रा होना आवश्यक है एवम् बी.एल.एड. की चतुर्थ वर्ष की छात्राएँ भी चुनाव लड़ सकती हैं।
- चुनाव में इच्छुक छात्रा का सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है।
- 75 प्रतिशत उपरिथिति होना अनिवार्य है।

#### उप-प्रधान पद हेतु (एक पद)

- चुनाव के लिये इच्छुक छात्रा का द्वितीय वर्ष की छात्रा होनी चाहिए।
- चुनाव में इच्छुक छात्रा का सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है।
- 75 प्रतिशत उपरिथिति होना अनिवार्य है।

#### सचिव पद हेतु (एक पद)

- चुनाव के लिये इच्छुक छात्रा द्वितीय व तृतीय वर्ष की छात्रा होनी चाहिए।
- चुनाव में इच्छुक छात्रा का सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है।
- 75 प्रतिशत उपरिथिति होना अनिवार्य है।

#### सह-सचिव पद हेतु (एक पद)

- चुनाव के लिये केवल प्रथम वर्ष की छात्राएँ ही लड़ सकती हैं।
- प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए दिनांक 14/9/24 तक 75 प्रतिशत उपरिथिति होना अनिवार्य है।

## केन्द्रीय पार्षद पद हेतु (दो पद)

1. केन्द्रीय पार्षद के चुनाव हेतु नामांकन विश्वविद्यालय नियमानुसार किया जायेगा।
2. 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है।

जो छात्राएं एक बार किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ चुकी हैं वह दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। केवल केन्द्रीय पार्षद पद पर लड़ी हुई छात्रा प्रधान, उप-प्रधान, सचिव व सह-सचिव का चुनाव लड़ सकती है। उपरोक्त सभी नियमों के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पारित नियमों का भी चुनाव में लड़ने वाली छात्राओं को पूर्ण करना पड़ेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पारित नियमों की जानकारी हेतु कार्यालय से सम्पर्क करें।

आवेदन करने वाली छात्राओं को आवेदन पत्र के साथ एक शपथ पत्र देना होगा कि वह पिछले वर्षों में किसी भी अपराधिक गतिविधि में शमिल नहीं रही है तथा उसके विरुद्ध महाविद्यालय ने कोई भी अनुशासनहीनता की कार्यवाही नहीं की है व सम्बन्धित छात्रा पिछले वर्षों में अनुत्तीर्ण नहीं हुई है तथा उसने चालू वर्ष में पुनः प्रवेश नहीं लिया है। नामांकन पत्र के साथ पिछली परीक्षा की अंक-तालिका, परिचय-पत्र व फीस की रसीद की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।

आवेदन-पत्र महाविद्यालय की दो छात्राओं द्वारा प्रस्तावित करना होगा तथा प्रस्तावित करने वाली छात्राओं की अंक तालिका, परिचय-पत्र व फीस की रसीद की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।

नामांकन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 19 सितम्बर 2024 अपराह्न 03 बजे तक है।

*Neerja Nepal*

श्रीमती नीरजा नागपाल  
संयोजक- छात्र संघ चुनाव

*Mamta Sharma*

प्रो, ममता शर्मा-प्राचार्य  
चुनाव अधिकारी